

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से 03 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) एवं दुर्घटना में मृत 01 श्रमिकों के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 190000/- (एक लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, कोटि	आश्रित का नाम( संबंध )/ दावेदार	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का स्थिति, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० राकेश कुमार, 26, अ० पि० वर्ग	श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया (पिता)	391/16.9.19	ग्रा०-खालीकपुर सूर्यपुरा, पो०-सूर्यगढ़ा, लखीसराय	3159799 0018	SBI, Suryagarha, SBIN0012593	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषक मजदूरी का कार्य
2	स्व० रामप्रवेश सिंह, 53, श्री रामजी सिंह, सामान्य	श्रीमती दूना देवी(पत्नी)	392/16.9.19	ग्रा०-चेतन टोला खुटडा(पूर्वी) बड़हिया, लखीसराय	3578117 2346	SBI, Barahiya, SBIN0002916	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूरी का कार्य
3	स्व० कपिल मोची, 53, श्री डोमन मोची, अनु० जाति	श्रीमती लालपरी देवी(पत्नी)	415/8.10.19	ग्रा०-बिहारौरा, पो०-महिसौना, धा०-रामगढचौक, लखीसराय	3329005 824	Central bank of India, Lakhisarai, CBIN0280049	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूरी का कार्य
4	स्व० श्यामसुन्दर मंडल, 55, श्री रामवतार मंडल, अ० पि० वर्ग	श्रीमती दुलारी देवी(पत्नी)	419/8.10.19	ग्रा०-पिरागौरा, पो०-बिलौरा, धा०+जि०-लखीसराय	3527994 7680	SBI Lakhisarai, SBIN0002968	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूरी का कार्य

कुल :- ₹ 190000/-

(एक लाख नब्बे हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत अनुदान राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-07/2019 के पृष्ठ-18 /टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०

(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।

पटना, दिनांक :-

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-07/2019

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०


(राम रूप प्रसाद)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-07/2019-408

पटना, दिनांक :- 22-11-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 190000/- (एक लाख नब्बे हजार रूपए रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

  
(राम रूप प्रसाद)  
कार्यकारी निदेशक।